न्यायालय अपर सिविल जज/न्या0 मजि0 खुर्जा, बुलन्दशहर।
मुकदमा वाद स0—1421/2023
मुकदमा अपराध सं0—305/2022
सरकार बनाम कमरूद्दीन।
धारा:— 3/25 आर्म्स एक्ट।
थाना— छतारी, जनपद, बुलन्दशहर

आरोप

मैं, **यज्ञेश कुमार सोनकर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर सिविल जज (अ0ख), खुर्जा, बुलन्दशहर एतद्धारा आप अभियुक्त कमरूद्दीन पुत्र स्व0 श्री रहीम को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ।

यह कि दिनांक 13.09.2022 को समय 06:25 बजे, घटना स्थल ग्राम गंगावास मोड से गांव गंगावास की तरफ 50 कदम की दूरी पर अन्तर्गत थाना क्षेत्र छतारी, जिला बुलन्दशहर में स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपके कब्जे से एक अदद् तमन्चा 315 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मिला। जिसको रखने का आपके पास कोई लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो कि धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्धारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक:—06.06.2024

(यज्ञेश कुमार सोनकर)
अपर सिविल जज/न्या0 मजि0
खुर्जा, बुलन्दशहर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण चाहा।

दिनांक:—06.06.2024

(यज्ञेश कुमार सोनकर)
अपर सिविल जज/न्या0 मजि0
खुर्जा, बुलन्दशहर।

Digitally signed by YAGYESH KUMAR SONKAR
Date: 2024.06.07 10:44:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court